सीमित वितरण हेतु प्रकाशित

देखी सुनी

वर्ष 2014, अंक 29

हिंसा मुक्त समाज में ही विकास संभव है

प्रिय साथियों!

इस बार के अंक में शामिल है– राजनिति के पर्व में अदृश्य होती महिलाओं की आवाज़ों को उठाता महिला समूहों का चुनावी घोषणा पत्र, रिवॉल्वर की छाया में महिला सुरक्षा? व महिलाओं से जुड़े कानून, अनुसूचित जाति व जनजाति के हक़ से जुड़े संघर्ष, पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा से जुड़ा कड़वा सच, मूलभूत सुविधाओं के आभाव में स्त्री और बजट पर एक नजर।

आशा करते है कि हमारी ये कोशिश आपके कार्यो में सहयोगी साबित होगी। अपने सुझाव व प्रतिक्रियाओं द्धारा हमारी बेहतरी में भागीदारी अवश्य बने। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं सहित।

नीतू रौतेला

जागोरी सन्दर्भ समूह

भारतीय राष्ट्रीय चुनाव 2014

8 मार्च 2014

महिलाओं की आज़ादी का घोषणापत्र

महिलाओं की आज़ादी का आंदोलन आग की तरह फैल रहा है। पूरे देश के नागरिक करोड़ों भारतीय महिलाओं व लड़कियों पर पीढ़ियों से चली आ रही हिंसा और दमन को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। मतदाता चुने हुए नेताओं से बदलाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रतिबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय महिलाओं की आज़ादी का यह छः सूत्री घोषणापत्र लड़कियों व महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा, समानता और बेहतरी का महत्वपूर्ण एलान है। हमारी मांग है कि 2014 लोकसभा चुनाव के सभी उम्मीदवार इस घोषणापत्र की मांगों को पूरा करने का वादा करें।

1. बराबरी के लिए शिक्षा

हम औरतों के साथ भेदभाव और हिंसा की संस्कृति को खत्म करने के लिए एक व्यापक, निधिबद्ध, लम्बे दौर के सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करेंगे। इसमें एसएमएस, रेडियो व टीवी सार्वजनिक सेवा अभियान, स्कूलों के लिए सुलभ पाठ्यक्रम, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों और दूसरे व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल होंगे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम शहरी व ग्रामीण इलाकों में पुरूष, स्त्री, लड़के व लड़कियों तक अपनी पहुंच बनाएंगे।

2. क़ानूनों को लागू करना

हम सुनिश्चित करेंगे कि हर सरकारी विभाग महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा ख़त्म करने वाले क़ानूनों को लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्यकारी योजना तैयार करे और हम उसके लिए बजट मुहैया कराएंगे। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर हिंसक अपराधों से पीड़ित महिलाओं को व्यापक सेवाएं मुहैया कराएंगे, जिसमें एक–मुश्त, चौबीस घंटे चलने वाला संकटकालीन केंद्र, हर पुलिस ज़िले में सुरक्षित आश्रयघर और तुरंत आर्थिक मुआवज़ा पाने में मदद शामिल होगी। हम बच्चों का यौन शौषण रोकने के लिए एक व्यापक योजना बनाकर उसके लिए आर्थिक साधन मुहैया कराएंगे। इसमें शहरी झुग्गियों व गांवों में बच्चों की सुरक्षित देखभाल व माता–पिता और बच्चों के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल किए जाएंगे। हम राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए प्रतिक्रियाशील व निष्पक्ष 'फ़ास्ट–ट्रैक' अदालतें बनाएगें। हम न्यायधीशों की संख्या बढ़ाकर हर एक लाख लोगों पर चालीस करेंगे। हम जवाबदेय क़ानूनी मदद तक पहुंच बढ़ाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यौन हिंसा के मामलों में राज्य द्वारा तय किया हरज़ाना जल्दी मिले और गवाहों के लिए सुरक्षा कार्यक्रम भी बनाएगें।

3. महिलाओं के लिए सत्ता

हम लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का सहयोग करेंगे तथा सभी नीति व व्यवहार संबंधी परिषदों, समितियों व कार्यबल में औरतों की भागीदारी बढ़ाएंगे। हम लैंगिक अपराधों के दोषी चुनावी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने वाली आचार संहिता का सहयोग करेंगे तथा लोक सभा में महिला विरोधी भाषा व व्यवहार ख़त्म करेंगे। हम राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोगों की काम करने की आज़ादी को सशक्त बनाएंगे और पारदर्शी तरीकों से चुने अनुभवी व्यावसायिकों की नियुक्ति में मदद करेंगे।

4. जनता के लिए पुलिस

हम महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के लिए एक प्रक्रिया आधारित व्यापक प्रोटोकॉल बनाएंगे व उसका प्रचार करेंगे। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेवा के नियमों में बदलाव करेंगे और ज़ोर देंगे कि पुलिस व अभियोक्ता भर्ती, प्रमोशन व सज़ा देने में लिंग आधारित रवैयों और काम करने के तरीक़ों का मूल्यांकन किया जाए। हम पुलिस सुधारों को लागू करने का वादा करते हैं और सुनिश्चित करेंगे कि नये नियमों को न मानने वाले पुलिस कर्मचारियों के ख़िलाफ़ जांच हो व उन्हें अनुशासन में रखा जाए। हम शहरी व ग्रामीण 'पायलट' परियोजनाओं के तहत बलात्कार संकट प्रतिक्रिया टीम भी बनाएंगे। राज्य व गैर राजकीय पक्षों द्वारा औरतों पर नैतिक निगरानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

5. जल्दी और निश्चित न्याय

हम महिलाओं व यौन अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव व हिंसा कायम करने वाले तथा औरतों के ख़िलाफ़ किसी भी रूप से धर्म, जाति, यौनिकता, उम्र, आर्थिक दर्जा व विकलांगता की बिनाह पर भेदभाव को अनुमोदन करने वाले मौजूदा क़ानूनों में संशोधन का समर्थन करेंगे। *हम गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम* को सख्ती से लागू करेंगे। हम शादी में बलात्कार से बचाव व भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाने के लिए मौजूदा क़ानूनों में बदलाव का समर्थन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ बलात्कार को अपराध समझा जाए। हम क़ानून में ऐसे बदलाव करेंगे कि 16 व 17 साल के युवा जोड़े बलात्कार क़ानून के तहत अपराधी न समझे जाएं। हम *सशस्त्र सेना बल विशेषाधिकार क़ानून (अफसपा)* के तहत हिरासत में बलात्कार के अपराधियों को मिलने वाली सज़ा में छूट खत्म करेंगे। हम संघर्ष वाले इलाकों में यौनिक अपराधों की निगरानी व सज़ा देने के लिए विशेष अफ़सर तैनात करेंगे। हम दलित व आदिवासी महिलाओं के विरूद्व अपराधों को ख़त्म करने के लिए *नृशंसता रोकथाम (संशोधन) क़ानून* बनाएंगे। हम साम्प्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ एक सख़्त क़ानून तैयार करेंगे जो राज्य व गैर राजकीय पक्षों की जवाबदेयी निश्चित करेगा। हम पूर्वोत्तर राज्यों की औरतों के साथ होने वाले जातीय भेदभाव और हिंसा के ख़िलाफ़ कार्यवाही करेंगे। हम सम्मान हत्याओं के ख़िलाफ़ एक कठोर क़ानून बनाने के लिए दबाव बनाएंगे। हम साम्प्रदायिक व जातीय हत्याओं और हिरासत में बलात्कार के लम्बे समय से चले आ रहे मामलों में जल्दी न्याय दिलाने के लिए क़दम उठाएंगे।

6. आर्थिक बेहतरी

हम महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमामय और लाभकारी रोज़गार सुनिश्चित करेंगे। सभी विभागों में समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए, 'मनरेगा' कर्मचारियों को क्रेश व अन्य ज़रुरी मदद देने के लिए, सभी संगठित और असंगठित खंडों में महिला मज़दूरों को अधिकार, मान और न्यूनतम वेतन मुहैया कराने के लिए कार्यकारी योजनाएं बनानी होंगी। हम सभी सेवा योजनाओं में अनौपचारिक धनराशि लेकर काम करने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करेंगे। हम काम की जगह पर होने वाले अन्यायी भेदभाव, जिसमें असंगठित खंड भी शामिल हैं को संबोधित करने वाले क़ानून में बदलाव के लिए दबाव बनाएंगे। हम कार्यस्थल पर यौन हिंसा क़ानून को केंद्रिय सरकार के आदेश के तहत लागू करेंगे। हम महिलाओं को व्यापक सहकारी वृद्धावस्था पेंशन देंगे। हम लड़कियों की शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्यकारी योजना तैयार करेंगे। हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिनमें महिलाओं को अपने पैदाइशी परिवारों में बराबर जायदाद के हक़ व ससुराल में विरासत के अधिकार सुनिश्चित हों। सबसे गरीब इलाकों में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे और सभी औरतों के लिए सुरक्षित व नियमित सार्वजनिक यातायात की सुविधा होगी। हम औरतों के लिए विकासशील न्याय सुनिश्चित करेंगे और संसाधनों पर सामुदायिक हक़ों का सम्मान करेंगे। सभी कार्यकारी योजनाओं में आधारभूत सुविधाएं, कर्मचारी, प्रशिक्षण, निगरानी व मूल्यांकन शामिल होंगे तथा हर एक विभाग के लिए केंद्रिय बजट रखा जाएगा।

महिला समूहों का साझा संघर्ष

बंदूक भरोसे अबला बनेगी सबला!

मुद्दा

अंजलि सिन्हा

बीते मंगलवार से (25 मार्च) निर्भीक रिवॉल्वर की डिलीवरी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि 525 ग्राम का यह रिवॉल्वर महिलाओं के लिए बनाया गया है। ध्यान रहे कि यह हथियार सेना में कार्यरत या पुलिस विभाग के महिला कर्मचारियों के लिए नहीं है जो अपराधियों से नागरिकों की रक्षा करेंगी और न ही यह हमारे समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में कोई भूमिका निभाएगा, बल्कि यह रिवॉल्वर बाजार में उपलब्ध आत्मरक्षा का एक औजार भर है। इससे सुरक्षित वातावरण में सुकून से विचरण करने का हक कतई नहीं मिलता है। पहले दिन दस महिलाओं को इसकी डिलीवरी हुई तथा तीन दर्जन लोग लाइन में हैं। कानपुर फील्डगन फैक्टरी के मैनेजमेंट का कहना है कि देश ही नहीं विदेशों से भी उन्हें सराहना मिली है। दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद ऐसे प्रयासों तथा सतही उपायों से लोग लबरेज हो गए हैं।

'निर्भीक रिवॉल्वर' की प्रस्तुत चर्चा के बहाने महिलाओं की आत्मरक्षा के नाम पर प्रचारित एक स्प्रे पिछले दिनों कुछ अलग वजहों से सुर्खियों में आया। दरअसल लोकसभा में सत्र के दौरान तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध करने वाले सांसदों में से एक ने सदन में मिर्च का स्प्रे भी छिड़क दिया जिससे लोगों की आंखों में जलन होने लगी तथा आधे घंटे तक सदन में सांसद हलकान रहे थे। मालूम हो कि जिन दिनों निर्भया को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां तेज थीं, उन दिनों महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में यह बात प्रचारित की जा रही थी कि किस तरह महिलाएं बाहर निकलते वक्त मिर्च का स्प्रे लेकर चले। कई कंपनियों द्वारा इस बाबत बनाए नए-नए उत्पादों के विज्ञापन भी अखबारों व अन्य मीडिया में प्रचारित हो रहे थे। यह बात रेखांकित की जा रही थी कि महिलाओं के साथ कोई अगर यौन हिंसा पर उतारू हो तो यह स्प्रे उस पर डालकर वह अपना बचाव कर सकती हैं। इसी तरह चाकू, ब्लेड, आलपिन आदि 'हथियारों' के बारे में भी चर्चा चलती रही है। स्पष्ट है कि महिलाओं में व्याप्त डर और असुरक्षा की भावना का दोहन करके बचाव के इन हथियार बनाने वाली या स्प्रे बनाने वाली कंपनियों ने कुछ मुनाफा जरूर कमाया होगा।

ऐसे उपायों को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ऐसे साधन महिलाओं के खिलाफ व्याप्त हिंसा को नियंत्रित करने का साधन बन सकते हैं? बहुत सीमित अर्थों में उनकी उपयोगिता की बात की जा सकती है, जो किसी किशोरी/महिला को मानसिक समाधान प्रदान करे, मगर दूरगामी तौर पर देखें तो ऐसे उपाय न सिर्फ असरहीन बल्कि मूर्खतापूर्ण हैं। सोचने की बात यह है कि जिस बाजार में वह स्प्रे उपलब्ध होगा वहां से कोई अपराधी मनोवृत्ति का व्यक्ति आखिर उसे कैसे नहीं खरीद सकता है और जिस चीज से महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए होने की बात प्रचारित की जा रही हो, उसी का इस्तेमाल कर पीड़क

अपने 'शिकार' को और अधिक कमजोर हालात में क्यों नहीं पहुंचा सकता है? यह समझने की जरूरत है कि इन 'हथियारों' को एक बार बाजार में उतारने के बाद उन पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है।

सार्वजनिक दायरे में महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा की घटनाओं ने समाज में असुरक्षित वातावरण तैयार किया है। इनसे बचाव के लिए जहां घर वाले तरह-तरह से एहतियात बरतने को बोलते हैं, वहीं पुलिस तथा प्रशासन भी महिलाओं को आत्मरक्षा की नसीहत देते हैं। वैसे खुद सतर्कता बरतना तथा बचाव के कुछ उपाय सीख लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझना यह है कि इससे सुरक्षित वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी तथा अपराधियों पर इससे अंकुश नहीं लगेगा, उल्टे वे भी नए-नए तरीके इजाद करेंगे। दूसरी बात कि सुरक्षा बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। जब विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपाय तथा गैजेटस् का ऐलान होने लगता है तो एक तो वह भ्रम पैदा करता है और दूसरे बचाव के उपाय की जिम्मेदारी पीड़ित पक्ष पर डालता है। इससे, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तथा वे हर तकनीकी उपाय का तकनीकी ढंग से काट तलाशते हैं।

दरअसल, सरकार तथा प्रशासन को अपराधियों पर काबू पनि का सख्ती तथा दोषियों की सजा की दर बढ़ाने के साथ ही दूरगामी रूप से कई तरह के जनजागृति तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा ऐसे उपाय भी करने चाहिए जो औरत के प्रति लोगों में नजरिया बदलने का काम भी करे। संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक हस्तक्षेप के साथ ही ऐसे अवसर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए जहां सार्वजनिक दायरे में औरतों की उपस्थिति बढ़े। महिलाओं की गतिशीलता जितनी बढ़ेगी और वे जितना बाहर निकलेंगी और बाहर स्वाभाविक मिलना-जुलना बढ़ेगा तो कुंठाएं कम होंगी। जहां भी औरत को उपभोग या वस्तु के रूप में पेश किया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर क्षेत्र तथा विभाग में स्त्री-पुरुष कर्मचारी का अनुपात समान करने का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए- चाहे वह रेल विभाग हो, पोस्टल या पुलिस या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट। स्त्री-पुरुष दोनों के भीतर की पितृसत्तात्मक मानसिकता को समाप्त कर स्त्री के दोयम दर्जे की स्थिति को बदल कर समानता के धरातल तक पहुंचाना ही कठिन, दूरगामी मगर कारगर उपाय है। इसमें भले तुरंत नतीजा नहीं दिखे लेकिन यदि ऐसा लक्ष्य साधा गया तो असर दिखते देर नहीं लगेगी।

हम इसके आधे-अधूरे ही सही लेकिन कुछ उदाहरण देख भी सकते हैं। जिन स्कूलों, कॉलेजों या शिक्षण संस्थानों में महिला टीचर-कर्मचारी की संख्या ठीकठाक है वहां स्वाभाविक तथा स्वस्थ सहकर्मी हालात बनने लगे हैं। इसी तरह सहशिक्षा वाले कालेजों के छात्र-छात्राओं में भी एक-दूसरे से अच्छे मित्रवत रिश्तों का उदाहरण देख सकते हैं, जहां जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेम संबंध में ही ऐसा हो। अब समाज इस मामले में प्रगति कर रहा है जहां स्त्री पुरूष के बीच सिर्फ पारिवारिक स्तर पर या यौनिक और भाई बहन, बेटा बेटी आदि प्रकार के रक्त सम्बन्धी रिश्ते ही नहीं वैचारिक तथा पेशेगत रिश्ते भी बनते हैं।

राष्ट्रीय सहारा 28.03.2014

उन्हें हथियार नहीं, सम्मान चाहिए

समाज

मनीषा सिंह

edit@amarujala.com

अब जल्दी ही ऐसा हल्का रिवाल्वर बाजार में आने वाला है, जो स्त्रियों को आत्मरक्षा में मदद दे सकेगा। निर्भीक' नाम के इस रिवॉल्वर के बारे में दावा है कि यह 16 दिसंबर जैसी घटनाओं की रोकथाम में मददगार साबित होगा। आत्मरक्षा के लिए ऐसे ठोस हथियार के अलावा काली मिर्च के स्प्रे, तगड़ा करंट मारने वाले गैजेट, खास तरह की अलर्ट करने वाली सीटी और महिलाओं को अपराधियों से बचाने या किसी आपात स्थिति में उनकी मदद के लिए किसी को पुकारने के संबंध में तरह-तरह के औजारों के बारे में लगातार कहा-सुना जा रहा है। इस नेकनीयती पर संदेह नहीं है। क्या ऐसे हथियारों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कोई कमी आएगी?

अक्सर कहा जाता रहा है कि अगर महिलाएं बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेंगी, तो उनके साथ होने वाले हादसे कम होंगे। पर घटनाएं बताती हैं कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद उनके खिलाफ होने वाले हादसों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में, यह सोचने की जरूरत है कि कहीं असली समस्या हमारी सामाजिक संरचना की तो नहीं है, जो आधुनिकीकरण की आंधी में तबाह होकर रह गई है।

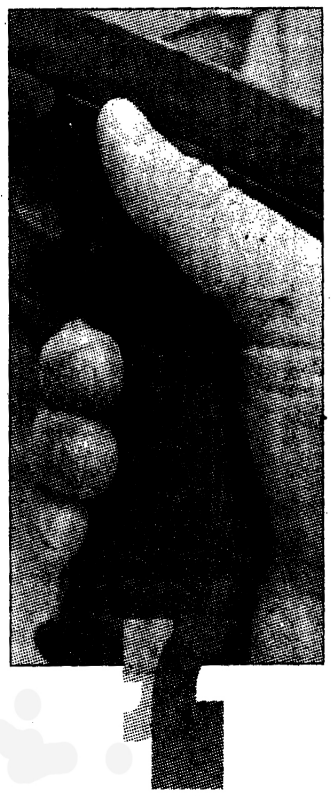

महिलाएं आखिर उन लोगों की बदनीयती से कैसे निपटेंगी, जिनसे उनका सामना घर, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों में रोज होता है?

किसी भी सरकार के लिए घर से बाहर निकलने वाली हर स्त्री की सुरक्षा का प्रबंध करना बहुत मुश्किल काम है। तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित करने से लेकर यौन प्रताड़ना कानूनों में इस बीच कई सुधार किए गए हैं। पर महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर समाज के सहज और संवेदनशील होने और उन्हें उनकी काबिलियत के लिए आदर-सम्मान देने की बात शायद ही कहीं कही जा रही है।

आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता के तमाम प्रयासों के बाद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर बढ़ी है। मुंबई के एक एनजीओ, प्रजा फाउंडेशन, ने सूचना के अधिकार के तहत जो आंकड़े निकलवाए, उनके अनुसार 2011-12 में वहां बलात्कार की 187 घटनाएं हुईं, जो 2012-13 में बढ़कर 294 हो गईं। इसी अवधि में छेड़छाड़ की घटनाएं 554 से बढ़कर 793 तक पहुंच गईं।

कड़े कानूनी प्रावधानों के बावजूद कई पेच ऐसे हैं, जो अपराधियों को अभयदान देते हैं। जैसे, नाबालिग अपराधी का कृत्य चाहे कितना ही दुर्लभतम श्रेणी का हो, कानून उसे बालिग अपराधी के समान दंडित नहीं कर सकता। उधर, गांव-कस्बों में महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं हैं, वहां का जड़ समाज अब भी महिलाओं को अपने पांव की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं देता। पर शहरों के पढ़े-लिखे समाज के बीच हालात तो और भी बदतर हो रहे हैं।

एक छोर पर सरकार और कानून है, जहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरे छोर पर वही मर्दवादी और पितृसत्तात्मक समाज है, जो पहले तो स्त्री को गर्भ में कुचलने का प्रयास करता है, उसके बाद भी अगर वह संघर्ष करके घर से बाहर की दुनिया में पुरुषों की बराबरी की कोशिश करे, तो वहां छेड़छाड़, तेजाब और बलात्कार जैसे दंश देकर उसे अपनी औकात में रहने को कहा जाता है। स्त्रियों के खिलाफ बढ़ते अपराध हमारे युवा समाज की विकृत सोच के परिचायक भी हैं। देश में होने वाले 65 फीसदी गंभीर अपराधों से 16 से 30 साल के आयु वर्ग के युवाओं का शामिल होना इसकी तस्दीक करता है। ज्यादातर हादसों के पीछे खाया-पीया युवा वर्ग है। शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ-साथ कानूनों में तब्दीली के बावजूद इस मानसिकता में कोई खास सुधार नहीं आ रहा है।

इन स्थितियों में अगर कोई महिला रिवॉल्वर रखने में सफल हो जाती है, तो भी उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। रिवॉल्वर साथ रखकर भी वह बुरी नीयत वाले उन लोगों से खुद को सुरक्षित कैसे रखेगी, जो उसे दिन-दहाड़े अपने ही घर में, कार्यस्थल पर और ट्रेन-बस में आते-जाते मिल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ एक महिला की है कि वह खुद को बदनीयत से भरे लोगों से बचने का प्रबंध करे। क्या हमारे समाज का इससे सरोकार नहीं है? यदि रिवॉल्वर रखने या मार्शल आर्ट सीखने से स्त्रियों की हिफाजत मुमकिन होती, तो लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती जैसी महिलाओं को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती।

अमर उजाला 25.01.2014

एक लाख ऑटो चालक करेंगे महिला सुरक्षा

प्रिया गौतम

- परिवहन विभाग के साथ मिलकर मानस फाउंडेशन दे रहा है चालकों को प्रशिक्षण

नई दिल्ली। राजधानी में अब ऑटो चालक महिलाओं की सुरक्षा करते नजर आएंगे। इसके लिए एक लाख ऑटो चालकों को मानसिक तौर पर प्रशिक्षित करने का काम चल रहा है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ मिलकर मानस फाउंडेशन ऑटो चालकों को इस संवेदनशील मुद्दे पर मानसिक रूप से तैयार कर रहा है।

इसी साल 16 जनवरी से शुरू बिल्डिंग बॉन्ड्स फॉर जेंडर सेंसटाइजेशन नाम से यह मुहिम दो प्रमुख चालक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रही है। बुराड़ी और लोनी स्थित इन संस्थानों में हर रोज लगभग 200 चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य संगठन मानस फाउंडेशन के मनोचिकित्सक अभी तक 4000 चालकों को तैयार कर चुके हैं। धीरे-धीरे पूरे एक लाख

चालकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस दौरान मानसिक तौर पर महिला सुरक्षा और महिलाओं को सम्मान देने के लिए चालकों की प्रतिबद्धता के साथ उन्हें तरीके भी बताए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण के बाद चालकों को अपनी वर्दी पर लगाने के लिए 'मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान' लिखे हुए बैज और ऑटो पर लगाने के लिए महिला सुरक्षा के नारे लिखे स्टीकर दिए जा रहे हैं।

इस बारे में परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मुहिम विभाग के महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। अभी यह दो संस्थानों में चल रहा है। जल्द ही सराय काले खां में भी ऑटो चालकों को मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑटो का इस्तेमाल महिलाएं अक्सर करती हैं। ऐसे में इस समुदाय को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। धीरे-धीरे यह मुहिम सकारात्मक असर ला रही है।

हेल्पलाइन बनाई

मानस संगठन ने ऑटो चालकों के लिए पहली बार एक हेल्पलाइन भी तैयार की है। इसका नंबर 011-41708517 है। इस बारे में संगठन की सह संस्थापक मोनिका कुमार ने बताया कि ऑटा चालकों की भी अपनी समस्याएं होती हैं। इस हेल्पलाइन से उनकी परेशानियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसका ऑटो चालकों ने खुशी से स्वागत किया है।

अमर उजाला 30.02.2014

सशक्तीकरण कानूनों के जरिए

■ केवीके शांति
सहायक प्रो., नलसार
यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद

स्त्रियां लम्बे समय से हमेशा ही समाज के सर्वाधिक दबे-कुचले वर्ग का हिस्सा रही हैं। उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए कानून उनका सशक्तीकरण करता है। कार्यस्थल पर, घर और जीवन के हर स्तर पर कानून उनका संरक्षण करता है।

महिलाएं और संविधान : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के बारे में कोई प्रावधान किए जाने से राज्य के समक्ष कोई अड़चन नहीं हो सकती। अनुच्छेद 39 सुनिश्चित करता है कि बच्चों का शोषण न हो। अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के लिए विभिन्न अधिकारों का प्रावधान किया गया है ताकि वे गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें। इसके तहत उन्हें त्वरित न्याय पाने के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, बच्चे को जन्म देने या इसका फैसला करने का अधिकार, सम्मान और संपत्ति पाने का अधिकार, अपने जीवनसाथी की चिकित्सा जांच करवाने का अधिकार जैसे प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत हैं।

साइबर वर्ल्ड और महिला का संरक्षण : जेंडर साइबर अपराध भी जेंडर-आधारित भेदभाव का एक और रूप है। यह महिला के समानता के मौलिक अधिकार का व्यापक रूप से उल्लंघन करता है। इसी संदर्भ में इसे लिया जाना चाहिए-यह वह अपराध है जिसे महिलाओं को सिर्फ इसलिए भोगना पड़ता है कि वे कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि महिला हैं। यदि हम इसे इस नजरिए से नहीं देख पाए तो हम लैंगिक भेदभाव के प्रभावों को नहीं जान पाएंगे और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ किसी प्रयास या भावना का सम्मान नहीं कर पाएंगे। भारत में अभी हाल तक इंडियन पीनल कोड की धारा 509 के तहत की गई व्यवस्था साइबर अपराध के लिए लागू थी। इसके तहत किसी महिला के सम्मान को नुकसान पहुंचाने की गरज से 'शब्दों, ध्वनियों या हाव-भाव दर्शाना या कोई चीज दिखाना' या किसी महिला की निजता को तोड़ना दंडनीय माना गया। इसके लिए एक वर्ष की कैद या अर्थदंड की व्यवस्था की गई। इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 ए के तहत प्रावधान है कि 'सरसरी रूप से आक्रामक या धमकाने के अंदाज वाला' कोई मैसेज किसी व्यक्ति को भेजने या ऐसी सूचना जिसे भेजने वाला जानता हो कि वह झूठी है, फिर भी 'खीज पैदा करने, असुविधा पैदा करने, खतरा पैदा करने, रुकावट पैदा करने, सम्मान को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने, शत्रुता, घृणा या बुरी नीयत' से किसी व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा जाए तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। आईटी एक्ट की धारा 67 ए में यह व्यवस्था है कि यौनिकता के व्यवहार का पुट लिए कोई सामग्री प्रकाशित की जाती है या प्रेषित की जाती है या इलेक्ट्रानिक माध्यम से ऐसा कोई कार्य किया जाता है, तो पांच वर्ष की सजा या एक लाख रुपये के अर्थदंड भुगतना होगा। इनके अलावा, धारा 72 निजता और विश्वास तोड़ने के मामले में सजा का प्रावधान करती है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में आईपीसी की धारा 354 डी को शामिल किया गया है जिसके तहत किसी महिला द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट या ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार जरिए की निगरानी करने पर पहली बार में तीन साल की सजा का और जुर्माने का प्रावधान किया गया है और दूसरी बार या उससे ज्यादा बार इस प्रकार की हरकत करने वाले के लिए पांच साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। अलबत्ता, यह कानून उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब यह कार्य किसी अपराध को रोकने या उसके बारे में जानने या कानून के अनुसार या किसी उचित कारण और तार्किक स्थितियों में किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिला संरक्षण : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन) एक्ट महिलाओं का सहयोगियों, मातहतों और वरिष्ठों द्वारा किए जा सकने वाले उत्पीड़न से संरक्षण करता है। प्रत्येक कम्पनी या उद्योग या संस्थान के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य है कि वह अपने स्तर पर शिकायत समिति का गठन करे ताकि महिला कर्मियों की शिकायतों को प्राप्त करके उनकी तकलीफों को यथासंभव दूर किया जा सके।

घर पर महिलाओं का संरक्षण : डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट घर में महिला के गरिमा और प्रसन्न चित रहने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उन्हें विभिन्न समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता है। इसके तहत महिलाओं को मजिस्ट्रेट अदालत से प्रोटेक्शन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कम्पेंसेशन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर हासिल करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार वे अपने माता-पिता या ससुराल में परिजनों के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचते हुए संरक्षित जीवन यापन कर सकती हैं।

इंडियन पेनल कोड के तहत महिलाओं को प्राप्त संरक्षण : इंडियन पेनल कोड महिलाओं को विभिन्न तरह के यौनिक हमलों से बचाने में सहायता करता है। किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हरकत या महिला के प्रति किया गया कोई अप्रिय हाव-भाव या हरकत इस कानून की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध है।

महिलाओं पर तेजाब हमला : हालिया समय में महिलाओं पर तेजाबी हमलों की घटनाओं की जानकारी मिली हैं। आईपीसी की धारा 326ए के तहत सजा का प्रावधान है। पीड़ित को हमलावर को अपनी रक्षा करने के अधिकार के तहत जान से मार डालने तक का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक तौर पर किसी महिला को वस्त्रहीन करने पर धारा 354 बी के तहत दंडनीय अपराध करार दिया गया है।

निर्भया एक्ट : बलात्कार कानून की परिभाषा में कुछ बेहद जरूरी बदलाव इस एक्ट की विशेषता है। अरसे से धारा 375 को व्यापक करने की गरज से इसमें परिवर्तन की बात सोची जा रही थी। विभिन्न मुख और डिजिटल पेनिट्रेशन को भी अब अपराध में शुमार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि बलात्कार को व्यापक करते हुए यौनिक हमले को रेप में शुमार किया गया है। अलबत्ता, वर्मा कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, 2012 के साथ किसी विवाद की स्थिति से बचते हुए 'रेप' शब्द को अभी उल्लेख में रखा गया है। इस एक्ट की एक प्रमुख बात यह भी है कि पेनिट्रेशन की स्थिति में शारीरिक रूप से अपना बचाव न कर पाने वाली महिला के लिए यह बात नहीं कही जा सकेगी कि इस प्रकार की हरकत में उसकी सहमति थी।

राष्ट्रीय सहारा 08.03.2014

महिला उत्पीड़न पर अदालतों के हाल के कुछ फैसले

- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दुष्कर्म की शिकार दो स्कूली छात्राओं के नाम उजागर करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए दोनों छात्राओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
- महिला सहकर्मी पर भद्दी टिप्पणी करने के मामले में आरोपी भारतीय रेवेन्यू सर्विस के एक अधिकारी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न केवल 15 दिन कैद की सजा सुनाई बल्कि दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
- केन्द्र सरकार के दिवंगत कर्मचारियों की पत्नियाँ व तलाकशुदा बेटियाँ भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक सर्कुलर जारी किया है।
- सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अगर किसी ने पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी की है तो उसे दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता देना होगा।
- बम्बई हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार यदि पति गुजारा भत्ता नहीं देता तो पति की गिरफ्तारी तक हो सकती है।
- एक अहम फैसले में बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति बेरोजगार है तो भी वह अपनी बीबी और बच्चे के भरण-पोषण के लिये गुजारा भत्ता देने को बाध्य है। वह इससे मुकर नहीं सकता।
- दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली हो मगर उसे अपनी पहली बीबी और बच्चों का खर्च उठाना होगा।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में घरेलू महिलाओं के कामकाज की आर्थिक नजरिये से व्याख्या करते हुए कहा कि बीमा दावे के तहत घर की सामान्य गृहिणियों को भी कमाऊ सदस्यों की श्रेणी में ही माना जाना चाहिए।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम कानून किसी भी परिवार के उन सदस्यों पर लागू नहीं होता जो दम्पति से अलग या दूर रहते हों यानी महिला अपने पति के साथ रह रही हो और ससुराल वाले अलग रहते हों तब वह यह नहीं कह सकती कि उसे ससुराल वाले तंग कर रहे हैं और वह सुरक्षा की माँग करे।
- 2005 में एक नाबालिग द्वारा अपने पिता पर दुष्कर्म के विरुद्ध मामला लिखाने के बाद पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस व एक न्यूज चैनल पर साढ़े छह लाख का जुर्माना लगाया।
- तेजाब बिक्री नियंत्रित करने के बारे में कोई ठोस नीति न अपनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को कड़ी फटकार लगाई। लड़कियों पर आये दिन तेजाब के हमलों पर कोर्ट की सख्ती से सरकार ने बाद में कुछ कड़े प्रावधान लागू किये, मसलन बिना पहचान पत्र के तेजाब नहीं मिल सकता।
- 27 साल पहले हुये एक दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो पीड़ित बहिनों को पाँच-पाँच लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया।
- पंजाब के होशियारपुर में एक अदालत ने महज आठ दिनों के भीतर दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाकर नजीर पेश की। अभियुक्त को न सिर्फ 10 साल की सजा हुई बल्कि उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

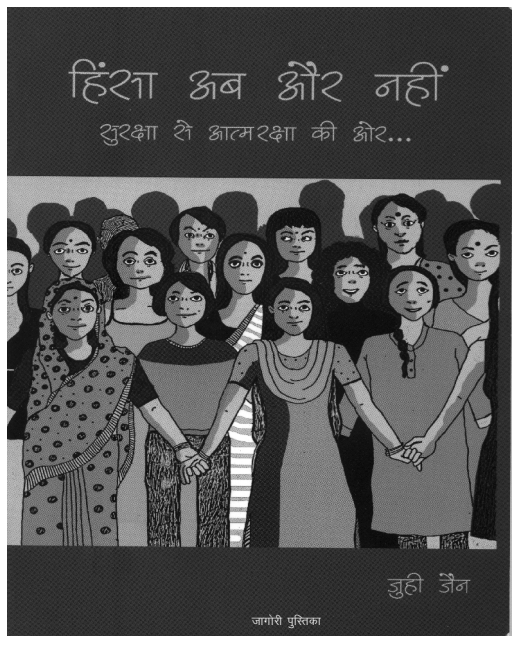

प्रस्तुतिः कमल नेगी

'सौ में पच्चीस हक हमारा' को लेकर लामबंदी

■ एन पॉल दिवाकर

संयोजक, नेशनल कोलिशन ऑन एससीपी टीएसपी लेजिस्लेशन

सामाजिक

-आर्थिक शोषण, भेदभाव और अगल-थलग कर दिए जाने से भारत की अनुसूचित जातियां/जनजातियां लंबे समय से समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। आमतौर पर निचले दर्जे की सरकारी नौकरियों में उनकी शिरकत बहुत कम रहती है। सामाजिक-आर्थिक अधिकारों और हकों तक भी उनकी कोई ज्यादा पहुंच नहीं है। ये समुदाय मुख्यधारा में अच्छे से जुड़े हिस्से नहीं रहे हैं। इसलिए शोषण और उपेक्षा का भी सर्वाधिक शिकार होते हैं। लैंगिक और जातिगत भेदभाव से पीड़ित हैं। हालांकि संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया है। संविधान को अंगीकार किए जाने के 35 वर्ष उपरांत योजना आयोग ने छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) में स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एससीपी), जिसे बाद में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) नाम दिया गया, शुरू किया। एससीएसपी में व्यवस्था की गई है कि सरकार समग्र योजना राशि में से एक नियत अनुपात में धनराशि अनुसूचित जातियों (जो दलित के नाम से जानी जाती हैं) के लिए खासतौर पर व्यय किए जाना सुनिश्चित करेगी।

> योजना आयोग ने स्वीकार किया है, तकनीकी चुनौतियों व राजनीतिक इच्छाशक्ति के अवरोधों से अजा/अजजा के लिए सेवाएं व धन का निर्धारण व उपलब्धि संबंधी प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं

आदिवासी उप-योजना (ट्राइबल सब-प्लान यानी टीएसपी) एससीएसपी की ही तरह की योजना है। बीते तीन दशकों का अनुभव बताता है कि केंद्र तथा राज्यों, दोनों जगहों पर एससीएसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन में खासी कमियां देखने को मिलीं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए ईमानदारी से योजना बनाने, जिससे उनकी विकास के लाभ तक पहुंच पक्की हो सके, की समूची प्रक्रिया मात्र लेखा-जोखा रखने की कवायद भर रह गई है। अगर योजना में इन वर्गों के विकास के मद्देनजर कमियों को दूर किया जाता तो इन वर्गों को शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, नागरिक सुविधाओं, उद्यमशीलता वगैरह की दृष्टि से देश की बाकी आबादी की बराबरी पर आने में सहायता मिल पाती। आज स्थिति यह है कि एससीएसपी/टीएसपी मात्र आंकड़ेबाजी रह गई हैं। नतीजतन, अनेक केंद्रीय मंत्रालय/राज्य सरकारें एससीएसपी/टीएसपी के तहत अपने व्यय के अनुपात (16.2% या 8.8%) को बस दर्शा भर देती हैं।

प्रभावी नहीं रहा कार्यान्वयन

एससीएसपी और टीएसपी को रणनीतिक रूप से कार्यान्वित किए जाने की गरज से इन योजनाओं को बीते 30 वर्षों के दौरान प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। इसके विपरीत ये योजनाएं अनुसूचित जाति/जनजातियों को दरपेश दो दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में असफल रही हैं। एक तो उन्हें सामान्य व्यय से उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिल पा रहा तो दूसरी तरफ उनके लिए नियत कार्यक्रमों को भी संतोषजनक तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा।

कई राज्यों ने अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आनुपातिक रूप से धन आवंटित नहीं किया है या दलित कल्याण के लिए अलग से धन मुहैया नहीं कराया है। ज्यादातर राज्य आवंटित धन की थोड़ी सी मात्रा का भी पूरा उपयोग नहीं करते। समुचित बजट उपयोग/संबंधित उपयोग की व्यवस्था न होने के कारण दलितों के लिए मुहैया कराया जाने वाला धन अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कोई नियामक तौर-तरीका या निगरानी तंत्र न होने के कारण जो विशाल धन राशि दलितों के विकास के लिए व्यय की जा सकती थी, वह या तो व्यय नहीं हो पाती या उसका प्रवाह अन्य तबकों के कल्याण की तरफ मोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, नीतियों और कार्यक्रमों को आरंभ करते समय जिस प्रकार के मंसूबे बांधे गए होते हैं, उनके अनुरूप योजना और निगरानी प्रभावी नहीं रह पाती।

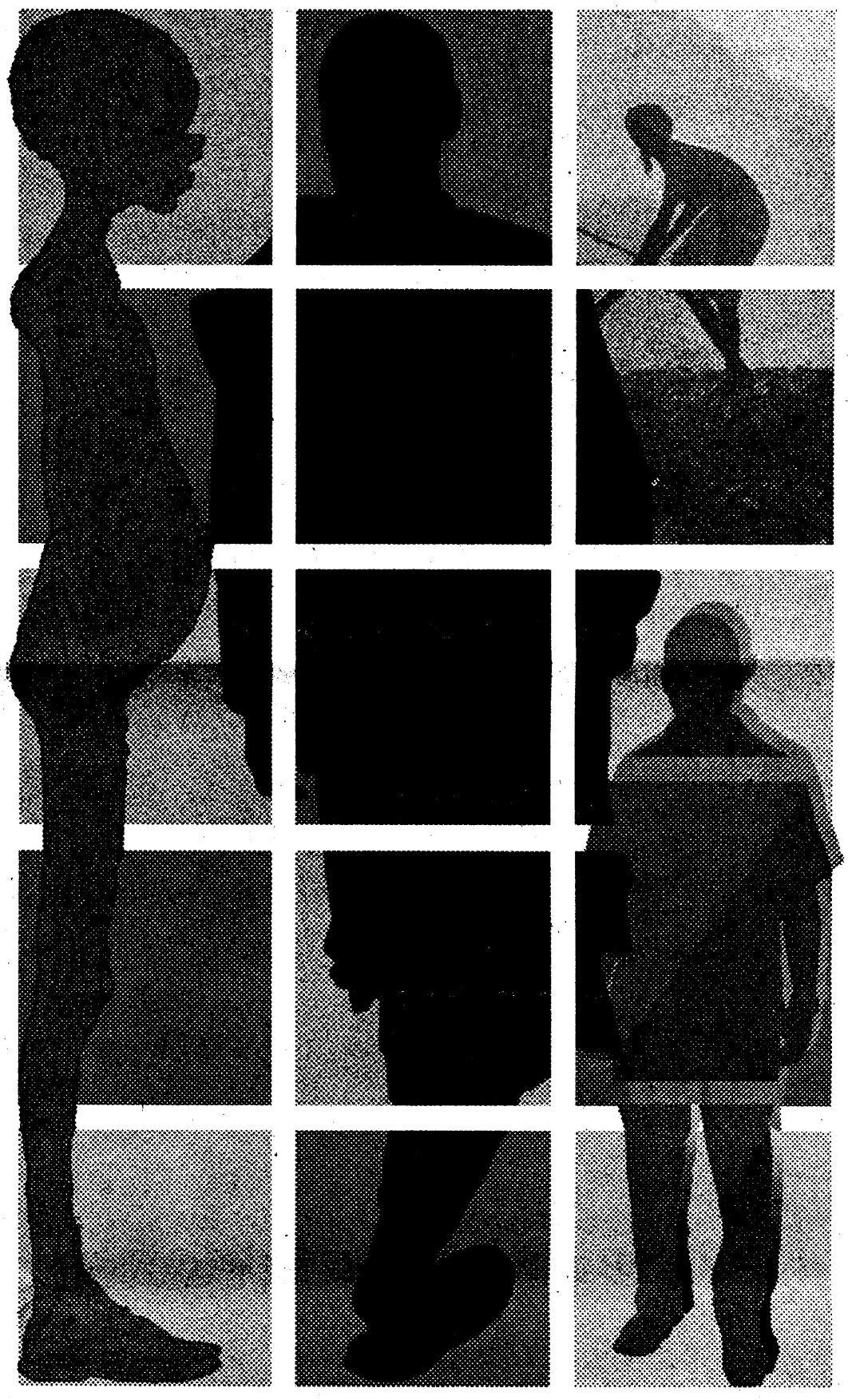

इलस्ट्रेशन : जे.पी. त्रिपाठी

लागू करने में खामियां

तकनीकी चुनौतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति द्वारा पैदा किए गए अवरोधों के चलते अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए सेवाएं और सार्वजनिक धन का निर्धारण और उपलब्धि संबंधी प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। योजना आयोग ने अपनी ग्यारहवीं पंच-वर्षीय योजना (2007-12) में इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण, वैधानिक और/या स्पष्ट प्रशासनिक मंजूरी न होना हैं। दरअसल, राज्यों और जिलों में इस प्रकार के समुचित प्रशासनिक, कार्यपालक और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले तौर-तरीके मुहैया नहीं हैं, जिस प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजातियों के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए जरूरी हैं।

जहां एससीएसपी के लिए आवंटन राष्ट्रीय स्तर पर समेकित वार्षिक एवं पंच-वर्षीय योजना के दस्तावेज में केंद्र और राज्यों के बजट में दर्शाया जाता है, वहीं विस्तृत अनुदान मांग पत्र में इसे नहीं दिखाया जाता। विस्तृत योजना के अभाव में ये अनुदान या तो आवश्यकतानुरूप नहीं होते या फिर इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। एससीएसपी आवंटनों को विभाज्य कोष (दलितों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए) और अविभाज्य कोष (सामान्य कल्याण या विकास पर व्यय किया गया धन जिससे अन्य तबकों के साथ दलित भी लाभान्वित हो सकते हैं) में पृथक किया जा सकता है। अविभाज्य कोषों को गैर-दलित लोगों पर सुगमता से व्यय किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया होता।

दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टीएसपी के लिए पांचवी पंच-वर्षीय योजना की शुरुआत में योजना आयोग ने जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उनका योजना के मद्देनजर कायदे से अनुपालन नहीं किया गया। इस नीति की निगरानी में नाकामी मिलने से कई बड़ी खामियां उभर आईं। नतीजा यह रहा कि अनुसूचित जनजातियों में घोर गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों को चिह्नित करने की दृष्टि से जोरदार प्रयास नहीं किए जा सके और न ही गरीबी के हालात का सामना करने के लिए किसी कारगर रणनीति को सार्थक और टिकाऊ तरीके से अपनाया जा सका।

निम्नलिखित मांगें हैं हमारी :

1) एससीएसपी/टीएसपी के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। इसमें निम्नानुसार प्रावधान होने चाहिए :

- अनुसूचित जाति/जनजाति की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनसंख्या के समतुल्य अनुपात में उनके विकास के मद्देनजर केंद्रीय और राज्यों के कुल योजना व्यय में पृथक और स्पष्ट प्रावधान किया जाए।
- आवंटित बजट इस्तेमाल न होने की स्थिति में न तो समाप्त माना जाए और न ही इसे किसी अन्य मद में इस्तेमाल किया जाए।
- केंद्रीय और राज्य-स्तर पर एक अच्छे से तैयार किया गया पूरी तरह लक्षित संस्थान स्थापित किया जाए जो अनुसूचित जाति/जातियों की विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एससीएसपी/टीएसपी कोष मंत्रालयों/विभागों को आवंटित करे। इससे मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जाति/जातियों के विकास के लिए तैयार योजनाओं को पृथक बजट के तहत स्पष्ट रूप से दर्शाने में आसानी रहेगी।
- आवंटित धनराशि का 50% योजनाओं खासकर दलित एवं आदिवासी महिलाओं संबंधी योजनाओं पर व्यय किया जाना चाहिए।
- योजनाओं की आयोजना और मूल्यांकन में लक्षित समुदायों, सीएसओ और विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- बजट से हासिल नतीजों/प्रदर्शन समेत लाभार्जकों की जानकारी प्रति वर्ष सार्वजनिक रूप से जारी या प्रकाशित की जानी चाहिए। ■

राष्ट्रीय सहारा 01.03.2014

अपनों से बेगानों वाला सलूक कब तक

मुद्दा

अरविंद जयतिलक

देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के छात्र निडो तानिया पर नस्लीय टिप्पणी और फिर सरेआम पिटाई से हुई मौत, न केवल दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का द्योतक है बल्कि देश की एकता के लिए आघातकारी भी है। किसी छात्र को अपने ही देश में नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़े, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। निडो की हत्या देश के माथे पर कलंक है। पूर्वोत्तर के समाज का इस घटना से उद्वेलित और विचलित होना स्वाभाविक है। आखिर उसके देश की राजधानी या अन्य हिस्सों में बर्बरता का व्यवहार कैसे हो सकता है। भारत विविधता पूर्ण देश है। यहां लोगों के खान-पान, पहनावा, रहन-सहन और भाषा-संस्कृति में कदम-कदम पर अंतर है। यह विविधता ही भारतीयता की ताकत है। लेकिन कभी-कभी इसका सम्मान करने के बजाए मखौल उड़ाया जाने लगता है। निडो की मौत इसी विद्रूप मखौल का नतीजा है। राजधानी दिल्ली में निडो पर नस्लीय टिप्पणी और लोगों के अराजक व्यवहार ने कई सवाल खड़े किए हैं। मसलन क्या दिल्ली में सहिष्णुता नहीं रह गयी है? क्या दिल्ली नस्ली मानसिकता का अड्डा बन रहा है? या समझा जाए कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए दिल्ली सुरक्षित नहीं रह गयी है?

बहरहाल, विगत कुछ समय से जिस तरह दिल्ली व देश के अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी कर अपमानित किया जा रहा है यह लज्जाजनक और देश की एकता भंग करने वाला है। अभी चंद रोज पहले पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की कुछ लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी की गयी और विरोध करने पर उन्हें मारा-पीटा गया। विडंबना यह कि उन्हें पुलिस का भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। हद तो तब हो गयी जब सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर भी दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लग गया।

याद होगा 2012 में असम में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों को निशाना बनाया गया। उपद्रवी तत्वों ने उन्हें एसएमएस कर धमकाया नतीजतन वे अपने गृहराज्य जाने को विवश हुए। इससे पहले पुणे में भी पूर्वोत्तर के छात्रों को निशाना बनाया गया। उस समय भी सवाल उठा था कि आखिर पूर्वोत्तर के लोगों के साथ गैरों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या दिल्ली या देश के अन्य राज्यों पर उनका अधिकार नहीं है? क्या वे भारत का हिस्सा नहीं हैं? अगर इस क्षेत्र के लोग देश के अन्य हिस्सों में खुद को असुरक्षित महसूस करें या उन्हें नस्लीय टिप्पणी से आघात पहुंचे तो यह देश व समाज को शर्मसार करने वाला परिदृश्य है।

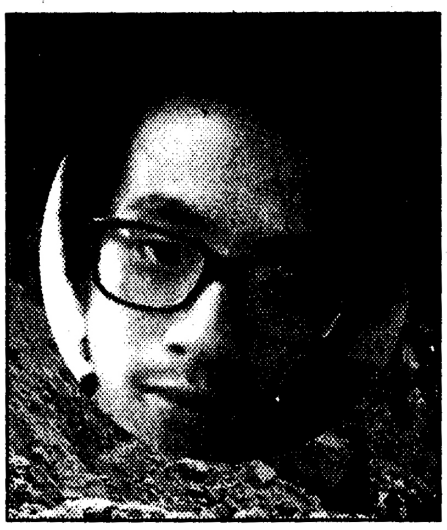

सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पूर्वोत्तर भारत का अभिन्न अंग है। बात तब बनेगी जब यहां के लोगों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता में होगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। उचित है कि दिल्ली सरकार ने निडो की हत्या की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन यह

पर्याप्त नहीं है। निडो को न्याय तब मिलेगा जब नस्लीय टिप्पणी करने वाले गुनाहगारों को भी उनके किए की सजा मिले। कहा जा रहा है कि इस बात की क्या गारंटी कि आगे पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ फिर ऐसा बर्ताव नहीं होगा। यहां के लोगों ने निडो की हत्या को नस्लीय हमला करार दिया है। यहां के सांसदों ने इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की भी बात कही है। इस मामले में सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में नकारात्मक संदेश गया है। उनकी यह धारणा मजबूत हुई है कि दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में वे सुरक्षित नहीं हैं। पूर्वोत्तर के अराजकवादी संगठन इस हत्या की आड़ में स्थानीय जनमानस को उद्वेलित कर सकते हैं, दिशाभ्रमित कर सकते हैं। अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अलगाववादी व उग्रवादी संगठन मौजूद हैं। वे इस हत्या को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का हथियार बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं। दिल्ली की हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। आजादी के साढ़े छह दशक गुजर गए, लेकिन पूर्वोत्तर के आठ राज्यों- असम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम व सिक्किम विकास से कोसों दूर हैं। कल-कारखानों की स्थापना तो दूर, यहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। पूरे क्षेत्र में शिक्षा के आधारभूत ढांचे और सुविधाओं का घोर अभाव है। कई राज्यों में तो एक किमी भी रेल पटरी नहीं है। सड़क परिवहन बदहाल है। जब प्रकृति ने पूर्वोत्तर को हर तरह की सौगातों से नवाजा है तो क्यों नहीं इसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में दुनिया के मानचित्र पर लाया जाए। लेकिन इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। नतीजा, उग्रवादी संगठनों को कहने का मौका मिल रहा है कि दिल्ली में पूर्वोत्तर के साथ भेदभाव होता है। रही-सही कसर नस्लीय मानसिकता के लोग पूरा कर दे रहे हैं।

कभी आचार्य विनोबा भावे ने टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने जो स्वतंत्रता दी, वह उनके पॉकेट में ही रही। निश्चित रूप से उनका इशारा पूर्वोत्तर के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर रहा होगा। अगर आजादी के इतने सालों बाद भी पूर्वोत्तरवासी खुद को अपने ही देश में असुरक्षित समझते हैं तो इसके लिए उनके साथ होने वाला भेदभाव ही जिम्मेदार हैं। यह तथ्य है कि नगालैंड और मणिपुर में आज भी देश के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है। अलगाव की इस प्रवृत्ति को उग्रवादी संगठन लगातार हवा दे रहे हैं। अगर पूर्वोत्तर के लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार जारी रहा तो इससे उग्रवादी संगठनों को ही मजबूती मिलेगी। एक अरसे से नगा संगठन नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नगालैंड असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल इलाकों को मिलाकर वृहत्तर नगालैंड के गठन और संप्रभुता की मांग कर रहे हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी उग्रवादी संगठन सिर उठाए हैं। यह सही है कि यहां के अन्य राज्यों की अपेक्षा अरुणाचल शांत है लेकिन निडो की मौत से यहां भी संवेदनाओं का ज्वार उठ सकता है। चीन अरुणाचल पर पहले से ही कुदृष्टि जमाए है। इस घटना के बाद वह यहां के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का सकता है। उचित होगा कि केंद्र सरकार नफरत की दीवार खड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें विश्वास में ले।

राष्ट्रीय सहारा 05.02.2014

पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा पर *अदालत के निर्देश जारी*

नई दिल्ली, 5 मार्च (जनसत्ता)। राजधानी में पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को अपने सभी 83 हजार जवानों व अफसरों को संवेदनशील बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग ने प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता में इस बाबत समिति का गठन किया। निर्देश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस आयुक्त सभी डीसीपी को निर्देश दें कि वे पूर्वोत्तर के नागरिकों के सामने समस्याओं के संबंध में पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाएं। ये कदम पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत के बाद उठाए गए हैं।

उपराज्यपाल नजीब जंग ने प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता में इस बाबत समिति का गठन करते हुए कहा कि समिति दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रणालियों पर विचार करेगी। समिति जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस और पूर्वोत्तर के संगठनों के सदस्यों के बीच नियमित संवाद की प्रणाली बनाएगी ताकि क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा हो सके और उपाय खोजे जा सकें। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों पर फौरन कार्रवाई की जाए। 28 फरवरी को बनाई गई समिति में पूर्वोत्तर समुदाय के प्रतिनिधि हैं।

उधर, पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ घृणा अपराधों को 'नस्ली प्रोफाइलिंग' का मामला बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह इस तरह के अपराधों को रोकने के बारे में 83 हजार जवानों वाले अपने मजबूत पुलिस बल को संवेदनशील बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने कहा कि आप जानते हैं कि कैसे पूर्वोत्तर के रहने वाले लोगों का जिक्र किया जाता है। हम संवैधानिक लोकतंत्र कहलाने के लायक नहीं हैं। यह नस्ली प्रोफाइलिंग है। पीठ ने कहा कि कोई भी किसी भी भूभाग पर जाति, पंथ, क्षेत्र या धर्म के आधार पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। आम आदमी को भूल जाइए, आपको पहले अपने पुलिस बल को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभियान पहले ही शुरू किया जा चुका है तो अदालत ने कहा कि हमारी राय है कि और अधिक किए जाने की आवश्यकता है और 83000 से अधिक पुलिसकर्मियों में से प्रत्येक को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।

अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत के बारे में मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि हम क्राइम अगेंस्ट वुमन (सीएडब्लू) सेल की तर्ज पर एक विशेष इकाई स्थापित करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने 26 मार्च से पहले दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। उसमें हाल में शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 1093 से हासिल 47 शिकायतों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा गया। अदालत ने केंद्र के उस प्रस्ताव की स्थिति के बारे में भी जानना चाहा जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पुलिस के साथ तैनात करने की बात कही गई थी ताकि उस क्षेत्र के लोग 'सुरक्षित और संतुष्ट' महसूस कर सकें।

जनसत्ता 06.03.2014

उपाय जो हो सकते हैं

■ डॉ. अलाना गोलमेई

जनरल सेक्रेटरी, नॉर्थ-ईस्ट हेल्पलाइन

- यौन दुर्व्यवहार के सभी मामले और गालियां; यहां तक कि फिकरेबाजी, छूना और प्राइवेट पार्टों को किसी लड़की/महिला को दिखाने को बलात्कार करने की नीयत के दायरे में रखा जाए। इन मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में की जाए।
- पूर्वोत्तर की अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षित महिलाओं के साथ गाली-गलौच या फिकरे कसने को एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत मामला चलाया जाए।
- रिहायशी इलाकों समेत सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को इस तरह संवेदनशील बनाया जाए कि वे पुरुष सहकर्मियों या अन्यों द्वारा की जाने वाली फिकरेबाजी, नस्लीय टोंट के मामले में कड़ी कार्रवाई करें।
- महिलाओं के प्रति हिंसा/अपराध आदि के मामलों की जांच केवल महिला पुलिस अफसर द्वारा कराई जाए।
- पूर्वोत्तर राज्यों से राजधानी दिल्ली या देश के अनेक महानगरों में आने वाली बच्चियों की रेलवे स्टेशन, बस अड्डों आदि पर सघन निगरानी की जाए ताकि उनकी तस्करी न की जा सके।
- जैसा कि मीडिया रपटों में कहा गया है कि रोजाना कई लड़कियां गायब हो जाती हैं या उनका अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन मीडिया से भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती कि उनका क्या हुआ? ऐसे मामलों की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस को रोजाना के स्तर पर जांच में हुई प्रगति का ब्योरा देना चाहिए।
- दिल्ली पुलिस को अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्हें उल्टे पीड़िताओं खासकर पूर्वोत्तर से आई लड़कियों/महिलाओं को तंग करने या सताने से बाज आना चाहिए। ऐसा बहुधा देखा गया है कि दिल्ली के थानों में उन पीड़िताओं की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी थानों, पुलिस ड्यूटी बूथों और चेकिंग प्वाइंटों को अवश्य ही इस कदर संवेदनशील, सतर्क और मुस्तैद बनाया जाए ताकि पूर्वोत्तर की महिलाएं जरूरत की घड़ी में उनसे मदद ले सकें।
- हालांकि लंबित मामलों की जल्दी से जल्दी सुनवाई की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पूर्वोत्तर की लड़कियों/महिलाओं के साथ बलात्कार या यौन दुर्व्यवहारों संबंधी मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए।

■ मधु चंद्रा

प्रवक्ता, नॉर्थ-ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्पलाइन

- नस्लीय भेदभाव की समस्या को दूर करने के लिए कानून और नीतियां बनाई जाएं। इस दिशा में खास तरह के उपाय या ठोस कानून बनाये बिना सरकार और कानून लागू करने-कराने वाली एजेंसियों की तरफ से आश्वासनों के दोहराव महज जुबानी सेवा है। उपयुक्त नीतियां बनाने और नस्लीय हमले रोकने वाले कानून के लिए केंद्र व दिल्ली सरकारें सामाजिक विज्ञानियों, विशेषज्ञों और पूर्वोत्तर के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से परस्पर सहयोग-संवाद से एक त्रुटिरहित कानून का मसविदा तैयार करे।
- दूसरे, पूर्वोत्तर भारतीयों के प्रति दिल्ली व देश के दूसरे महानगरों में होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहारों के प्रति सात राज्यों को मूकदर्शक बने रहने के बजाय सामूहिक रूप से अपने-अपने राज्यों में एक नीति बनानी चाहिए। दुर्भाग्य से, बार-बार की अपील के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों ने समवेत रूप से योजना और नीति नहीं बनाई है।
- तीसरा, हमलावर इसका लिहाज नहीं करते शिकार होने वाला पुरुष या महिलाएं पूर्वोत्तर के किस सूबे की हैं या किस जाति से ताल्लुक रखती हैं। वहीं इसके विरोध में उठने वाली प्रतिक्रिया जनजाति, समुदाय या उस राज्य की होती है, जहां से वह व्यक्ति आता है। सामूहिक प्रयास इस समय की महत्ती आवश्यकता है।
- चौथा, चुपचाप शोषण-दमन सहने की मानसिकता को तिलांजलि देना होगा। हमले या यौन दुर्व्यवहारों की शिकायतें दर्ज करानी होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के तहत शिकायत प्रकोष्ठ का गठन अपरिहार्य है। इसका उपयोग करना होगा। चुप रहने का फायदा हमलावर ही उठाएंगे और फिर वह दूसरों को सताने से बाज नहीं आएंगे।

राष्ट्रीय सहारा 26.12.2013

एक अदद सुविधा के अभाव में स्त्रियां

■ अंजलि सिन्हा

एक अखबार में लोगों के अनुभव के लिए एक कॉलम होता है। उसमें एक बार एक महिला ने अपने निजी दोस्त के हवाले से जो अनुभव साझा किया, वह बाहर निकलने वाली सभी महिलाओं को कभी न कभी झेलना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि किस तरह किसी खरीदारी के संदर्भ में दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में पहुंची। उन्हें टायलेट ढूंढे नहीं मिला और पूरी मार्केट घूमने के बाद जो मिला वह बंद था। किसी से पूछने पर बताया कि लाजपत नगर पुलिस स्टेशन के सामने एक पब्लिक टायलेट है। वे महिलाएं किसी तरह वहां पहुंचीं तो पता चला कि इसका ठेका जिस कांट्रेक्टर के पास था, उसका ठेका खत्म हो चुका है। इसलिए वह बंद है। लाजपत नगर के पुलिस स्टेशन में टायलेट में जाने के लिए अपील की तो पुलिसवालों ने जाने दिया। खैर, उस जरूरतमंद महिला को अगले दो-तीन दिन दवा खानी पड़ी।

संवेदनशीलता की कमी

अक्सर महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो पानी नहीं पीती हैं। यदि पक्के तौर पर पता न हो कि उस रूट पर जनसुविधा है या नहीं। अब राजधानी में मेट्रो रेल के विस्तार से कम-से-कम यह सुनिश्चित हुआ है कि कम-से-कम स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध हो। हालांकि वहां एक अलग तरह का विभेद भी दिखता है। वे एक ही काम के लिए महिलाओं से पुरुषों की तुलना में दोगुनी रकम वसूल कर लेते हैं। इस मामले में संवेदनशीलता की इतनी गहरी कमी है कि बड़े-बड़े तमाम शोरूम में भी इसका इंतजाम नहीं होता। अक्सर इस समस्या की अनदेखी की जाती है। महिलाएं अपने साथ होने वाले इस असभ्य व्यवहार को झेलने के लिए अभिशप्त हैं।

राजधानी दिल्ली की ही बात जारी रखें तो कुछ साल पहले अखबारों में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाये गये सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 670 थी, जिसमें सिर्फ 70 महिला शौचालय थे। सर्वेक्षण के दौरान इनमें से आधे बंद पाये गये। अखबार में महिलाओं के अनुभव के आधार पर यह खबर आई थी कि प्रगति मैदान जैसे जगह पर जहां कई कार्यक्रम देर शाम तक चलते हैं, वहां रात को महिलाओं के शौचालय में ताला जड़ दिया जाता है। दिल्ली सचिवालय के बारे में भी यही समाचार छपा था, जिसमें बताया गया था कि शाम को महिला टायलेट पर ताला लगता है। बंदी के बारे में अधिकारियों का कहना रहता है कि शौचालयों में असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के कारण उन्हें बंद किया गया है।

अंधेरे का इंतजार

यदि देश की राजधानी का यह हाल है तो आप दूसरे शहरों तथा कस्बों के बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। गांवों में तो फिर भी कम भीड़भाड़ के कारण ऐसे स्थान मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वे कर सकती हैं। वैसे शौचालय के लिए महिलाओं को सुबह अंधेरे में या शाम को सूरज ढलने का इंतजार भी करना पड़ता है। सार्वजनिक दायरे में शौचालयों की अनुपस्थिति की छाया स्कूलों पर भी दिखती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन-नीपा) के एक अध्ययन के मुताबिक देशभर मे सिर्फ 32 प्रतिशत स्कूलों में ही लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है जबकि ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या महज 29.41 प्रतिशत ही है। स्कूलों में 40 बच्चों पर एक शौचालय का नियम है तथा बालिकाओं के लिए 25 पर एक शौचालय सुझाया गया है। लेकिन यह सब कागज पर ही दिखता है। देखने में यही आता है कि दिल्ली के अधिकतर सरकारी स्कूलों में एक या दो शौचालय ही हैं। उसमें भी शायद ही कोई साफ-सुथरा तथा अच्छी हालत में हो।

बड़ी होती उम्र में बालिकाएं अपने मासिक धर्म के समय में शौचालय न होने के कारण या वहां पानी का इंतजाम न रहने के कारण स्कूल से अनुपस्थित होने के लिए मजबूर होती हैं। स्वास्थ्य की मामूली जानकारी रखने वाला भी बता सकता है कि गंदगी के कारण औरतें जल्द ही यूरीनरी ट्रैक इन्फेक्शन (मूत्रनली के संक्रमण) की शिकार हो जाती हैं। दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में किशोरियों के साथ की गई कई कार्यशालाओं के दौरान यही बात सुनने को मिली कि किस तरह उनकी कमी बच्चियों के शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। यह सोचने का मसला है कि सड़कों पर या सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की इस जरूरत पर आखिर नियोजनकर्ताओं का ध्यान क्यों नहीं गया? क्या उन्होंने माना होगा कि सार्वजनिक दायरे में घुसने की वे हकदार नही हैं या पितृसत्तात्मक मूल्यों वाले समाज में उन्हें स्त्रियों को नियंत्रित करने का यह हथियार लगा? लेकिन अब जब वे हर क्षेत्र में उपस्थित हैं तब तो यह गलती सुधार लेनी चाहिए।

सार्वजनिक स्थलों पर जरूरी

जब कभी यह मुद्दा बनता भी है तो स्वच्छता के लिए और गांव को निर्मल बनाने के लिए, इसे महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकार के नजरिये से देखा नहीं जाता। खबर आती है कि घरों में शौचालय को लेकर संस्थाएं या नगरपालिका मुहिम चला रही हैं, क्या इसी मुहिम का अनिवार्य हिस्सा सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण होना नहीं चाहिए। हमारे समाज में जैसी स्थिति है, वहां पुरुष खुले में भी निवृत्त होने में संकोच नहीं करते हैं, मगर शेष आधी आबादी क्या करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं की गतिशीलता को नियंत्रित रखने के जो कहे-अनकहे इंतजाम पुरुषप्रधान समाज ने किए हैं, उनमें इस कदम को भी शुमार किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के बीस साल पिछले दिनों पूरे हुए, उसकी समीक्षा में एक बात बार-बार सामने आई कि एक तिहाई आरक्षण के तहत जब जगह-जगह महिलाएं पहुंचीं तो उन्होंने स्थानीय पंचायतों या जिला, नगर पंचायतों का जिम्मा संभाला या वहां अपनी बात रखने का हौसला जब वे जुटा पाईं तभी उन इलाकों में सार्वजनिक स्थान पर शौचालयों का निर्माण हो सका।

आधी आबादी की स्वास्थ्य की इतनी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए समाज में कोई चिंता, कोई सरोकार नहीं दिखता। इसके लिए कोई बहुत उठापटक की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी संवेदनशीलता और फैसले लेकर सुविधाएं निर्मित करने की इच्छा-शक्ति चाहिए

बड़े-बड़े शहरों से लेकर गांव तक में सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की अनुपस्थिति को देखते हुए क्या इस मसले को राष्ट्रीय आपातस्थिति कहते हुए विचार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ निश्चित दूरी पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं है तो क्या इसके लिए सिविक एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? यह महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और जवाबदेही तय कर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डॉक्टरों का कहना है कि पेशाब की जरूरत महसूस होने पर यदि ब्लेडर खाली नहीं किया गया तो जो अतिरिक्त पेशाब होता है, वह वापस किडनी में चला जाता है और पेशाब का टॉक्सिक/जहरीला तत्व किडनी में पहुंच कर स्टोन बनाता है। पेशाब रोकने से पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। पानी की मात्रा कम होने के कारण तथा अस्वच्छ जगह या मूत्रालय का इस्तेमाल करने के कारण यूटीआई अर्थात् मूत्रनलिका संक्रमण हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 77 फीसद महिलाएं पेशाब संबंधी बीमारी का शिकार होती हैं। पेशाब बार-बार रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं। आधी आबादी की स्वास्थ्य की इतनी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए समाज में कोई चिंता, कोई सरोकार नहीं दिखता। इसके लिए कोई बहुत उठापटक की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी संवेदनशीलता और फैसले लेकर सुविधायें निर्मित करने की इच्छाशक्ति चाहिए। यह औरत की गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाने तथा जेंडरभेद एवं औरत को दोयम समझने का सबसे भौंडा उदाहरण माना जाना चाहिए।

बुनियादी अधिकार

स्वच्छ शौचालय की ख्वाहिश रखना क्या ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरा करना असंभव है? निश्चित ही यह हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार होना चाहिए क्योंकि यह एक प्राकृतिक जरूरत है। पश्चिम के देश इस मामले में फिर भी संवेदनशील दिखते हैं। न्यूयॉर्क शहर के कॉरपोरेशन ने शौचालय के मसले पर बाकायदा रेस्टरूम इक्विटी बिल पास किया, जिसमें नियम बनाया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बनने वाले शौचालयों में 1:2 का अनुपात होगा अर्थात पुरुषों के लिए अगर एक शौचालय बनेगा तो महिलाओं के लिए दो शौचालय बनेंगे। काउंसिल ने इस संबंध में उसके सामने पेश किये अध्ययन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को निवृत्त होने में अधिक समय लगता है। दिलचस्प बात है कि अपर्याप्त टायलेट सुविधाओं को यौन उत्पीड़न का प्रकार मानने के बारे में दायर एक जनहित याचिका के बाद यह मसला चर्चा में आया था।

राष्ट्रीय सहारा 19.02.2014 ■

महिलाओं के लिए पोर्टेबल शौचालय

■ वॉटरप्रूफ कोटिंग वाले कागज से बना यह पोर्टेबल शौचालय कीप यानी फनल के आकार का है
■ यह मोड़ कर छोटे से पर्स में भी रखा जा सकता है
■ यह उत्पाद 5, 10 या 20 के पैक में विभिन्न पोर्टल जैसे स्नैपडील, हेल्थकार्ट और फर्स्ट क्राई में 120, 200 और 350 रुपए में बेचा जा रहा है
■ यह शौचालय उन महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं जिन्हें काम के सिलसिले में लंबी दूरी का सफर करना पड़ता है

नई दिल्ली। पर्यटन के दौरान, कार्य के सिलसिले में यात्रा के दौरान और अन्य अवसरों पर जरूरत महसूस होने के बावजूद सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी तथा संक्रमण के डर से बचने वाली महिलाओं को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसानी से बैग में रखा जाने वाला, एक पोर्टेबल शौचालय उनकी इस समस्या को दूर कर सकता है।

यह पोर्टेबल शौचालय पेश करने वाले 'फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट्स' के साझेदार दीप बजाज ने बताया 'महिलाओं के लिए शौचालय भारत में एक तरह से दुःस्वप्न की तरह हैं। वहां सफाई नहीं होती जिसके कारण संक्रामक बीमारियां होने का खतरा होता है। इसीलिए हमने 'पी बडी' पेश किया है जो भारत का पहला पोर्टेबल शौचालय है। इसे अन्य सामान की तरह आसानी से बैग में रखा जा सकता है।'

'इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' और 'यूनिसेफ' द्वारा स्वच्छता पर आयोजित एक गोलमेज बैठक में बजाज ने भी भाग लिया था। 'पी बडी' को पिछले साल दिसम्बर में पेश किया गया था और इसकी मदद से महिलाएं मॉल, हवाईअड्डों, अस्पतालों, राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों तथा मेट्रो के सार्वजनिक शौचालयों आदि में खड़े हो कर अपनी 'समस्या को हल' कर सकती है। वॉटरप्रूफ कोटिंग वाले कागज से बना यह पोर्टेबल शौचालय कीप यानी फनल के आकार का है और मोड़ कर छोटे से पर्स में भी रखा जा सकता है। यह उत्पाद 5, 10 या 20 के पैक में विभिन्न पोर्टल जैसे स्नैपडील, हेल्थकार्ट और फर्स्ट क्राई में क्रमशः 120, 200 और 350 रुपए में बेचा जा रहा है।

बजाज ने बताया कि यह शौचालय उन महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं जिन्हें काम के सिलसिले में लंबी दूरी का सफर करना पड़ता है, जो महिलाएं अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, जो गर्भवती हैं और जो महिलाएं गंदे सार्वजनिक शौचालय में नहीं जाना चाहतीं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पेशाब रोके रखने की वजह से गुर्दे में समस्या होने की भी आशंका होती है। गंदे शौचालयों में जाने से पेशाब की नलिका (यूरिनरी ट्रैक्ट) में संक्रमण की आशंका भी होती है। एक बार संक्रमण होने पर लंबे समय तक इलाज कराना पड़ता है और एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ती हैं। **(एजेंसी)**

राष्ट्रीय सहारा 08.03.2014

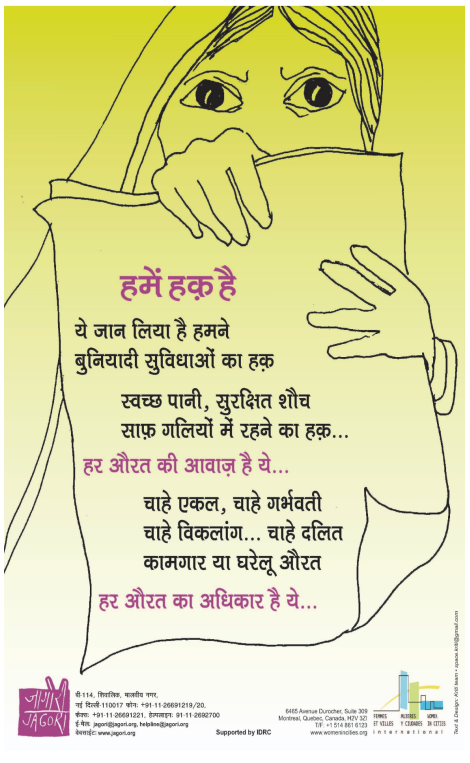

बजट 2014 पर एक नज़र....

राज्यों के लिए

दावा

- 1,200 करोड़ रुपए रखे हैं पूर्वोत्तर एवं हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों के लिए।
- 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में 126 योजनाओं को घटाकर 66 किया गया। 2013-14 में इसके लिए 1,36,254 करोड़ रुपए रखे थे।
- राज्य योजनाओं में केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 3,38,566 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

हकीकत

- यह अंतरिम बजट था, लिहाजा नई घोषणाएं नहीं हो सकती थी।
- पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में कांग्रेस की सरकारों के लिए पैसा जरूर बढ़ाया है।

असर क्या

- सीधे-सीधे कोई फायदा नहीं है। आम सरकारी योजनाओं का बजट भी घटा है।
- लोकसभा चुनावों में कांग्रेस शासित राज्यों में की गई घोषणाओं का फायदा मिल सकता है।

अल्पसंख्यक

दावा

- दस साल में बैंक खातों की संख्या 14.15 लाख से बढ़कर 43.52 लाख हुई है।
- इन्हें दिए गए लोन 4,000 करोड़ से बढ़कर 66,500 करोड़ रुपए हो गए है।
- दिसंबर-13 समाप्ति पर 2,11,451 करोड़ रुपए का कर्ज अल्पसंख्यकों को दिया गया।
- अन्य योजनाओं में कोई फेरबदल नहीं।

हकीकत

- अंतरिम बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कोई नई योजना नहीं है।
- सिर्फ 10 साल के रिकॉर्ड को सामने रखने की कोशिश की गई है।

असर क्या

- बजट में पुरानी स्कीम्स में कोई बदलाव नहीं किया है।
- पिछले साल हमारे लिए निर्धारित फंड का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ था। ऐसे में इस बार भी योजना के अमल पर संदेह है।

एक कारगर पहल

आधी आबादी

जाहिद खान

समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को कम ब्याज दर पर कर्ज देकर उन्हें आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने देश में महिला बैंक शुरू किया है। इस बैंक की पहली शाखा महाराष्ट्र के मुंबई में खोली गई। एक हजार करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ शुरू किया गया यह बैंक पूर्णतया महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए संचालित है। बैंक, महिला सशक्तीकरण के साथ सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान देगा। अभी इसकी सात शाखाएं गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अमदाबाद, बैंग्लूरु और लखनऊ में शुरू की गई हैं। निकट भविष्य में सरकार का इरादा इस बैंक की शाखाएं पश्चिम भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत सहित सभी जगह खोलने की है। 2014 मार्च के अंत तक बैंक की शाखाओं की संख्या 25 होगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम है, जिसका कि हमें स्वागत करना चाहिए। वित्त और बैंकिंग सुविधा की पहुंच से न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि विकास के सामाजिक आधार को भी व्यापकता हासिल होगी।

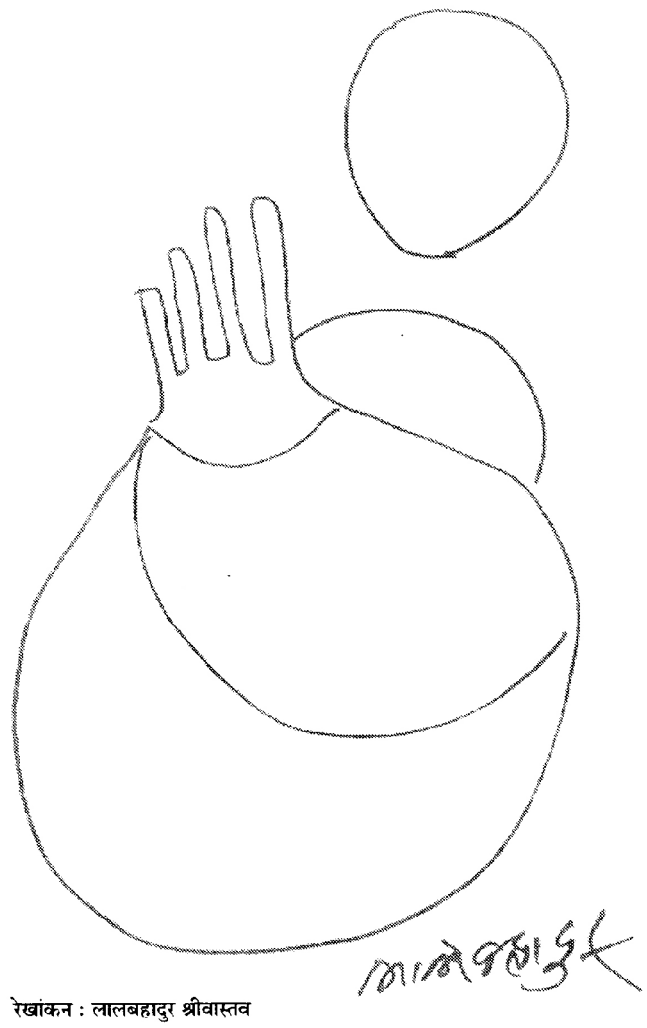

रेखांकन : लालबहादुर श्रीवास्तव

केंद्र सरकार ने अपने बजट भाषण में भारतीय महिला बैंक शुरू करने की घोषणा की थी, जो अब जाकर पूरी हो गई है। महिला बैंक के निदेशक मंडल में आठ महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक होगा, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष समेत सभी सदस्य महिलाएं हैं। निदेशक मंडल में जहां एक बड़े उद्योग समूह गोदरेज की तान्या दुबाश शामिल हैं, तो वहीं राजस्थान के एक गांव की सरपंच छवि राजावत भी। यानी निदेशक मंडल में सभी वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बैंक सिर्फ महिलाओं के लिए अकेले नहीं होगा, बल्कि इसमें सभी को सुविधाएं मिलेगीं।

केंद्र सरकार ने अपने बजट भाषण में भारतीय महिला बैंक शुरू करने की घोषणा की थी, जो अब जाकर पूरी हो गई है। महिला बैंक के निदेशक मंडल में आठ महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक होगा, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष समेत सभी सदस्य महिलाएं हैं।

इनमें महिलाएं काम करेंगी और उपभोक्ता भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही होंगी। बैंक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण करना है। जहां तक कर्ज का सवाल है, इन बैंकों में ज्यादा से ज्यादा कर्ज महिलाओं को ही दिया जाएगा। यानी कर्ज के मामले में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। महिलाओं को अपनी मनपसंद घरेलू कामों के साथ-साथ छोटे-मोटे कारोबार के लिए भी कर्ज मिलेगा। महिला शिक्षा के लिए इस बैंक में अधिक से अधिक दस लाख रुपए ऋण की सुविधा दी गई है। जिसमें भी उन्हें चार लाख के ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, जबकि उससे ऊपर की राशि पर उन्हें सिर्फ पांच फीसद ब्याज देना होगा।

बैंक की एक और अहम खासियत इसमें हर वर्ग की महिलाओं को खाता खोलने की सहुलियत होना है। पढ़ी लिखी महिलाएं तो किसी भी बैंक में खाता खोल सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण और अनपढ़ महिलाओं को होती है। खाता खोलने से लेकर उसके संचालन तक में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

यही वजह है कि सरकार ने इस तरह के बैंक की परिकल्पना की, जिसमें महिलाओं को अपना काम करने में आसानी हो। वे चाहे पैसा जमा करवाएं या ऋण लें, उनका काम आसानी से हो जाए। महिला बैंक का मुख्य जोर निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है, जिससे उनकी समाज में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक भागीदारी बढ़े। बैंक इन महिलाओं की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

रोजमर्रा के कामकाज में महिलाओं को घर, कार्यस्थल हर जगह पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। भारतीय महिला बैंक यह सब काम करेगा। बैंक महिलाओं को उचित निवेश की सलाह देने के साथ-साथ उन्हें अच्छी और भरोसेमंद सेवाएं भी देगा। यही नहीं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी ऋण मुहैया कराएगा। महिला बैंक अपनी महिला ग्राहकों के लिए कारोबार और विकास पत्राचार सुविधा भी शुरू करेगा। विकास अधिकारी, महिलाओं को आर्थिक मामलों और बैंकों में लेन-देन के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जिसमें आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के तहत उन्हें ऋण देने और अन्य गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षिण दिया जाएगा।

माना जा रहा है कि जब हर महिला तक वित्त और बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी, तो उनका आर्थिक सशक्तीकरण भी होगा। इससे महिलाओं की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण होगा, तो देश भी सशक्त होगा। महिला बैंक उन्हें लैंगिक भेदभाव से भी बचाएगा। यह भेदभाव उसे हर क्षेत्र में भुगतना पड़ता है। जरूरी यह भी है कि ग्रामीण इलाको में महिलाओं को बैंक तक लाने के लिए उन्हें इस बारे में सबसे पहले साक्षर करना होगा। महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी महिला बैंक का सही फायदा उठा पाएंगी।

जनसत्ता 05.01.2014

jahidk.khan@gmail.com

महिलाएं

पुराने खर्च हुए नहीं, निर्भया फंड में फिर रख दिए 1,000 करोड़

दावा

- पिछले साल निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपए रखे गए थे। यह लैप्स नहीं होंगे। अगले साल भी यह राशि फंड के तौर पर रहेगी।
- 4.11 लाख स्व-सहायता समूहों को 36,893 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया है।
- कैबिनेट ने जनवरी में 1,405 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी।
- इस प्रोजेक्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी और जीपीएस उपकरण लगाए जाएंगे।

हकीकत

- चुनाव से ठीक पहले योजना मंजूर की। पिछले साल 1000 करोड़ का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ।
- 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया है। योजना में अमल हो पाना मुश्किल है।

असर क्या

- दो महीने बाद चुनाव है। उसे देखते हुए बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जो घोषणाएं की गई है, वह पुरानी ही है।
- सिर्फ चुनावी घोषणा के तौर पर एक बार फिर 1,000 करोड़ रुपए निर्भया फंड में रखे गए हैं, ताकि इसके आधार पर वोट मांगे जा सके।

युवा

1000 करोड़ रुपए से करेंगे युवाओं का स्किल डेवलपमेंट

दावा

- 31 मार्च 2009 तक लिए गए और 31 दिसंबर 2013 तक बकाया सभी एजुकेशन लोन पर ब्याज में छूट देने का प्रस्ताव।
- एक अप्रैल 2014 के बाद का ब्याज चुकाना होगा। नौ लाख विद्यार्थियों को 2,600 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा।
- पिछले बजट में 1000 करोड़ रुपए नेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए रखे थे। 1.68 लाख युवकों ने नामांकन कराया। 77 हजार ने प्रशिक्षण पूरा किया। रोजगार मिला या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अगले साल भी इतने ही पैसे रखे हैं।

हकीकत

- 31 मार्च 2009 से पहले कर्ज लेने वाले स्टूडेंट्स को भी ब्याज चुकाने में दिक्कत आई है।
- दिसंबर 2013 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 25.70 लाख स्टूडेंट्स लोन के केस थे। इसमें 57.7 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं।

असर क्या

- कांग्रेस ने राहुल गांधी को केंद्र में रखकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभियान शुरू किया है। विज्ञापन भी चल रहे हैं। ब्याज की छूट से उन्हें युवाओं का साथ मिलने की उम्मीद है।
- इस योजना का लाभ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिन्हें एजुकेशन लोन चुकाने में दिक्कत आ रही है।

जनसत्ता 18.02.2014

औरत की हैसियत कितनी बढ़ी

महिला दिवस

अंजलि सिन्हा

दुनिया भर की शोषित-पीड़ित महिलाओं की मुक्ति का त्यौहार आठ मार्च अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस समूची दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन दुनिया के तमाम छोटे-बड़े शहरों, नगरों, कस्बों में महिलाएं सड़कों पर उतरती है, रैलियां करती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं और स्त्री मुक्ति के अधूरे संघर्ष को पूरा करने का अपना संकल्प दोहराती हैं। लेकिन सवाल बना ही हुआ है कि स्त्री ने अपने हक की कितनी लड़ाई जीत ली है या कितनी लड़ाई उसके लिए अभी जीतनी शेष है?

यह मार्च 1857 का किस्सा है, जब न्यूयॉर्क शहर के कपड़ा मिल की महिला कामगार अपने काम के घंटे कम करने तथा काम की स्थितियां सुधारने को लेकर हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर गईं। तब न उन्हें इस बात का गुमान था और न ही उनके उत्पीड़कों को अन्दाजा था कि इन महिलाओं ने विद्रोह का जो बिगुल फूंका है, उसकी अनुगूंज इतिहास में बार-बार सुनाई देगी और दुनियाभर की करोड़ों महिलाओं एवम अन्य कामगारों को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए संघर्ष हेतु प्रेरणा देती रहेंगी। फिर 1908 में न्यूयॉर्क के ही सुई उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों ने काम की बेहतर सुविधाओं को लेकर मार्च महीने में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वर्ष 1910 में अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में मशहूर नेत्री और जर्मनी की समाजवादी क्लारा जेटकिन ने प्रस्ताव रखा कि 1857 के महिलाओं के ऐतिहासिक आन्दोलन की याद में हमें अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने की घोषणा करनी चाहिए। क्लारा जेटकिन के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया गया और 1911 में यूरोप तथा अमेरिका के कई देशों में इसे अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। समाजवादी आन्दोलन का दायरा जैसे-जैसे फैलता गया, अन्य देशों में भी इसका प्रचार-प्रसार होता गया।

इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है और दुनिया भर के तमाम मुल्कों में इसे सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि मेहनतकश मजदूरों के संघर्ष की विरासत का यह यादगार दिन हमें आज भी अपने सामने खड़ी चुनौतियों से जूझने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि कहीं न कहीं आज इस ऐतिहासिक दिन के संघर्ष की धार कम होने लगी है तथा उसमें उत्सव का पक्ष हावी होता जला गया है। सरकारों के साथ ही कई स्वयंसेवी संस्थाओं यहां तक कि कारपोरेट जगत के लिए भी यह खास दिन अपने फायदे में इस्तेमाल करने का दिन बन गया लगता है। कारपारेट समूहों ने तो अपने उत्पाद को स्त्री मुक्ति में सहयोगी बता कर बेचने का फार्मूला भी अख्तियार कर मुनाफा बटोरने की रणनीति अपनायी है।

आज जहां आठ मार्च का सन्देश दूरदराज के पिछड़े इलाकों तक पहुंच चुका है वहीं अब चुनौती है कि इसे एक और त्यौहार बन जाने से कैसे बचाया जाए अर्थात यह दिन सिर्फ उत्सव तक सीमित न रहे। आज के समय में महिलाओं के सामने क्या कार्यभार हैं, उसे पुनर्परिभाषित कर आगे के रास्ते, रणनीतियां, आंदोलन के नए पड़ाव आदि

पर विमर्श होना चाहिए। आठ मार्च का सन्देश ऐसा प्रेरणादायी है कि वह आगे भी न्याय, बराबरी तथा प्रगति के लिए एकजुट होने, प्रतिरोध करने तथा हालात में बदलाव के लिए प्रेरित करता है।

इसके मद्देनजर यदि हम भारत में महिला आन्दोलन की आज की स्थिति तथा कार्यभार की बात करें तो यह साफ दिखता है कि यह आन्दोलन आज यथास्थिति तथा अवरोध का शिकार है। इसकी वजह से जरूरत आन पड़ती है कि हम महिला मुद्दों पर होने वाले प्रयासों का मूल्यांकन करें।

अगर हम इतिहास का अवलोकन करें तो यही दिखता है कि आजादी के बाद यहां आन्दोलन की शुरुआत ही मुद्दा आधारित थी यानी एक-एक मुद्दे पर अभियान चले जैसे बलात्कार विरोधी आन्दोलन, दहेज उत्पीड़न तथा दहेज हत्याविरोधी आन्दोलन, घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान, कार्यस्थल को यौन अत्याचारों से सुरक्षित करने के लिए आन्दोलन आदि। इन अभियानों, आन्दोलनों ने मिल कर समूचे नारी आन्दोलन का फलक तैयार किया। इन विभिन्न अभियानों में आरोह-अवरोह आते रहे जैसा कि किसी भी आन्दोलन में आते हैं। आन्दोलन की स्थिति तथा प्रभावों का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए यदि हम दहेज विरोधी अभियान को देखें तो इस अभियान के दबाव में ही दहेज निरोधक कानून बने, दहेज को एक सामाजिक बुराई माना गया, लेकिन समस्या में कमी नहीं आयी। दहेज आज भी एक गंभीर समस्या है तथा एक प्रमुख स्त्री विरोधी हिंसा है। अभियान ने इसे एक नैतिक तथा कानूनी मुद्दा बनाया। यह राजनीतिक-आर्थिक मांगों में तब्दील नहीं हो सका कि समाज में औरत की बराबरी की हैसियत कैसे बनेगी ? कानून-संविधान जो भी कहे, हकीकत में चल-अचल सम्पत्ति में मिल्कियत पुरुषों के पास बनी रही। यहां तक कि बेटी को सम्पत्ति में बराबर का हक 2005 में जाकर मिला; वह भी भारतीय समाज में सिर्फ कागज पर ही अस्तित्व में रहेगा। भाई-बहनों में सम्पत्ति का बराबर बंटवारा नहीं होता क्योंकि लड़की ससुराल की सदस्य समझी जाती है और ससुराल अपने परिवार के नए सदस्य को अपनी इच्छानुसार अधिकार देता है। लड़की को शुरू से पालन-पोषण में आत्मनिर्भरता के लिए तैयार नहीं किया जाता है बल्कि ससुराल के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे में दहेज समस्या जड़ से खत्म होने की संभावना कहां बन पाती है? व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हमारे समाज में स्थापित नहीं हो पाए और महिला आन्दोलन ने भी बेटी-बहू-पत्नी के रूप में ही समाज और सरकार से हक मांगे हैं।

परिवार के अन्दर के इन रिश्तों में, हर प्रकार का शोषण-उत्पीड़न और हिंसा जारी रही लेकिन परिवार की वैधता पर, पवित्रता पर प्रश्न खड़ा नहीं हो पाया। लड़कियों, छोटी बच्चियों के साथ परिवार के अन्दर अपने ही आत्मीयों द्वारा यौन अपराध जारी रहे, लेकिन समाज में यह स्वर ही गूंजा कि बाहर लड़कियों के लिए असुरक्षित है लिहाजा वे घर के अन्दर ही सिमटी रहें। महिलाएं घरों से बेदखल की गयीं, परित्यक्ता बना दी गयीं या विधवा आश्रम में भेज दी गयीं या घर के अंदर ही हाशिए का जीवन जीती रही। उनके लिए परिवार के सदस्य के रूप में ही समाधान ढूंढा गया।

अगर हम कार्यस्थल को देखें तो वहां पर भी पुरुष एवम स्त्री श्रमिक के बीच भेद बना रहा जिसके लिए तमाम पुराने मूल्यों मान्यताओं की दुहाई दी जाती रही। समाज और राज्य व्यक्ति तथा नागरिक के रूप में अधिकारों को सुनिचित करने की जवाबदेही नहीं माने। जिम्मेदारी और जवाबदेही में यही फर्क होता है कि जिम्मेदारी जितना प्रतिशत निभाना चाहे निभायें, लेकिन जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

राष्ट्रीय सहारा 08.03.2014

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

श्रावणी

आठ मार्च यानी महिलाओं के सफल गौरवमयी संघर्ष के इतिहास का यह दिवस हमें प्रतिरोध के उन मुद्दों की याद दिलाता है जिसे हमारे पुरखों ने गैर बराबरी के खिलाफ बिगुल के रूप में फूंका था। आज भी महिलायें अपनी आजादी, भय मुक्त जीवन, जीवन की बेहतरी के लिए संघर्ष कर रही है। संवैधानिक बराबरी के हक के बावजूद वे गैर बराबरी की शिकार हैं। विकास एवं कल्याणकारी नीतियों के बावजूद महिलायें विकास से कोसो दूर हैं। ऐसे समय में अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करना प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि इतिहास हमें न केवल ताकत देता है बल्कि रणनीति तय करने की दिशा का संकेत भी देता है। आठ मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आज हमारे संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। तो आइए जानें अपने संघर्ष के उन पलों को जिन्हें याद करने से हमें सकून मिलता है।

- आठ मार्च 1857 को अमरीका के वस्त्र उद्योग में कार्यरत् महिलाओं ने काम के घंटे कम करने तथा मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर व्यापक संघर्ष की शुरूआत की। पहले महिलाओं को सोलह घंटे कार्य करने पड़ते थे उन्होंने इसे कम कर दस घंटे करने की मांग की एवं संघर्ष में सफलता भी पायी।
- मार्च 1870 में पेरिस-कम्यून का जन्म हुआ। फ्रांस की महिलाओं ने राजनीतिक संघर्ष में भाग लेकर अपने जुझारूपन को पेश किया।
- 8 मार्च 1908 को न्यूयार्क शहर की महिला श्रमिकों ने काम के घंटे को सोलह से घटाकर दस घंटे करने, कारखानों के अस्वस्थयकर परिवेश को बदलने एवं सार्वजनिक मताधिकार की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया।
- 1910 में क्लारा जेटकिन ने कोपेनहेगन में आयोजित सम्मेलन के दौरान आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा।
- वर्ष 1911 में पहली बार पूरे विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया गया।
- 8 मार्च 1915 को ओस्लो की महिलाओं ने प्रथम विश्वयुद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठायी।
- 8 मार्च 1917 को रूसी महिलाओं ने शांति के लिए अपने नारा बुलंद किया।
- 1937 में स्पेन की महिलाओं ने तानाशाही एवं दमन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
- 1943 में मुसोलिनी शासन के खिलाफ इटली की महिलाओं ने आवाज उठायी एवं प्रदर्शन किया।
- 1978 में ईरानी महिलाओं ने परदा प्रथा के विरूद्ध संघर्ष की एवं कामयाबी भी हासिल की।
- 1980 में अनेक देशों की महिलाओं ने ग्रीनहैम में शिविर का आयोजन कर आणविक अस्त्रों एवं युद्ध के खिलाफ वातावरण बनाने का निर्णय लिया।
- भारत की महिलाओं ने भी महिला आंदोलन के संघर्ष में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की तथा महिला हिंसा के खिलाफ होने वाले संघर्ष को एक नया आयाम दिया।
- 1978 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष तथा 1975-85 को महिला दशक घोषित किये जाने से महिला संघर्ष को बल मिला तथा समाज में जेंडर असमानता पर फिर से नयी बहस शुरू करने के लिए सही वातावरण का निर्माण किया।

आज शहर ही नहीं गांव की महिलायें भी आठ मार्च के महत्व को जान गई है। इस दिन पूरे विश्व की महिलायें महिला दिवस को अपने संघर्ष के विजय दिवस के रूप में मनाती है तथा नारा बुलंद करती है -

''आवाज दो! हम एक हैं।''

आधी दुनिया, जनवरी–मार्च 2014

देखी सुनी – मुख्य हिंदी समाचार पत्रों में छपने वाले महिला मुद्दों से सम्बन्धित खबरो व लेखो का त्रैमासिक संकलन है। संकलित लेखों में व्यस्त विचार लेखकों के निजी विचार है, ज़रुरी नही यह हमारी संस्थागत सोच व क्रियांवयन को दर्शाते हो।

Bread for the World, Misereor के सहयोग से प्रकाशित

जागोरी JAGORI

निशुल्क प्रतियों के लिए संपर्क करें–
जागोरी, बी–114, शिवालीक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017,
फ़ोनः 011–26691219, 26691220
email: resource@jagori.org/jagori@jagori.org,www.jagori.org